

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.11(01) शिक्षा-1/2014-15

जयपुर, दिनांक :- 26.7.18

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय:- नव क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं 11वीं के साथ-साथ क्रमशः कक्षा 10वीं एवं 12वीं संचालित करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपके अ.शा.पत्रांक: शिविरा-माध्य / अ-4 / क्रमोन्नति / राउमावि / 2017-18 / दिनांक 10.07.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्तावानुसार वर्ष 2018-19 में नव क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं 11वीं के साथ-साथ क्रमशः कक्षा 10वीं एवं 12वीं संचालित करने के संबंध में सहमति एतद्वारा प्रदान की जाती हैं।


शेष शर्तें यथावत रहेगी।

www.rajteachers.com

महोदय,
26.7.18
(कमलेश आबूसरिया)
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदया (स्वतंत्र प्रभार)
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
6. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
8. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
9. उपनिदेशक, योजना, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
10. उपनिदेशक, सां० शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग एवं शिक्षा (ग्रुप-2,5,6.) विभाग।
11. प्रभारी, शाला दर्पण को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशानुसार सूचना शाला दर्पण पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
12. रक्षित पत्रावली।


(बी.के.गुप्ता)
विशेषाधिकारी-शिक्षा